भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न संख्या : 1230
गुरुवार, 27 जुलाई 2023/ 5 श्रावण, 1945 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

गो फर्स्ट विमान कंपनी द्वारा राशि की वापसी

1230. डॉ. ए. चेल्लाकुमारः
श्री गौरव गोगोई:
एडवोकेट अदूर प्रकाश:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में बड़े मालवाहक के विकास को बढ़ावा देने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या सरकार को गो फर्स्ट विमान कम्पनी द्वारा सेवा बंद किए जाने के बाद से बुक किए गए टिकटों की राशि की वापसी नहीं किए जाने के संबंध में यात्रियों की शिकायतों की जानकारी है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (जनरल) (डा.), विजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त)

(क): सरकार का लक्ष्य, राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के तत्वावधान में भारतीय विमानन क्षेत्र के समग्र विकास के लिए एक अनुकूल प्रणाली मुहैया कराना है।

(ख) : मेसर्स गो फर्स्ट द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) ने प्रतिपूर्ति (रिफंड) सहित दावे आमंत्रित करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है, जिसके लिए एयरलाइन की वेबसाइट "flygofirst.com/nclt-proceedings/" और "www.gofirstclaims.in/claims" पर उपलब्ध हैं।

*****